खण्ड-245, अंक-8
गुरूवार, 24 माघ, शक संवत् 1885
(13 फरवरी, 1964 ई0)

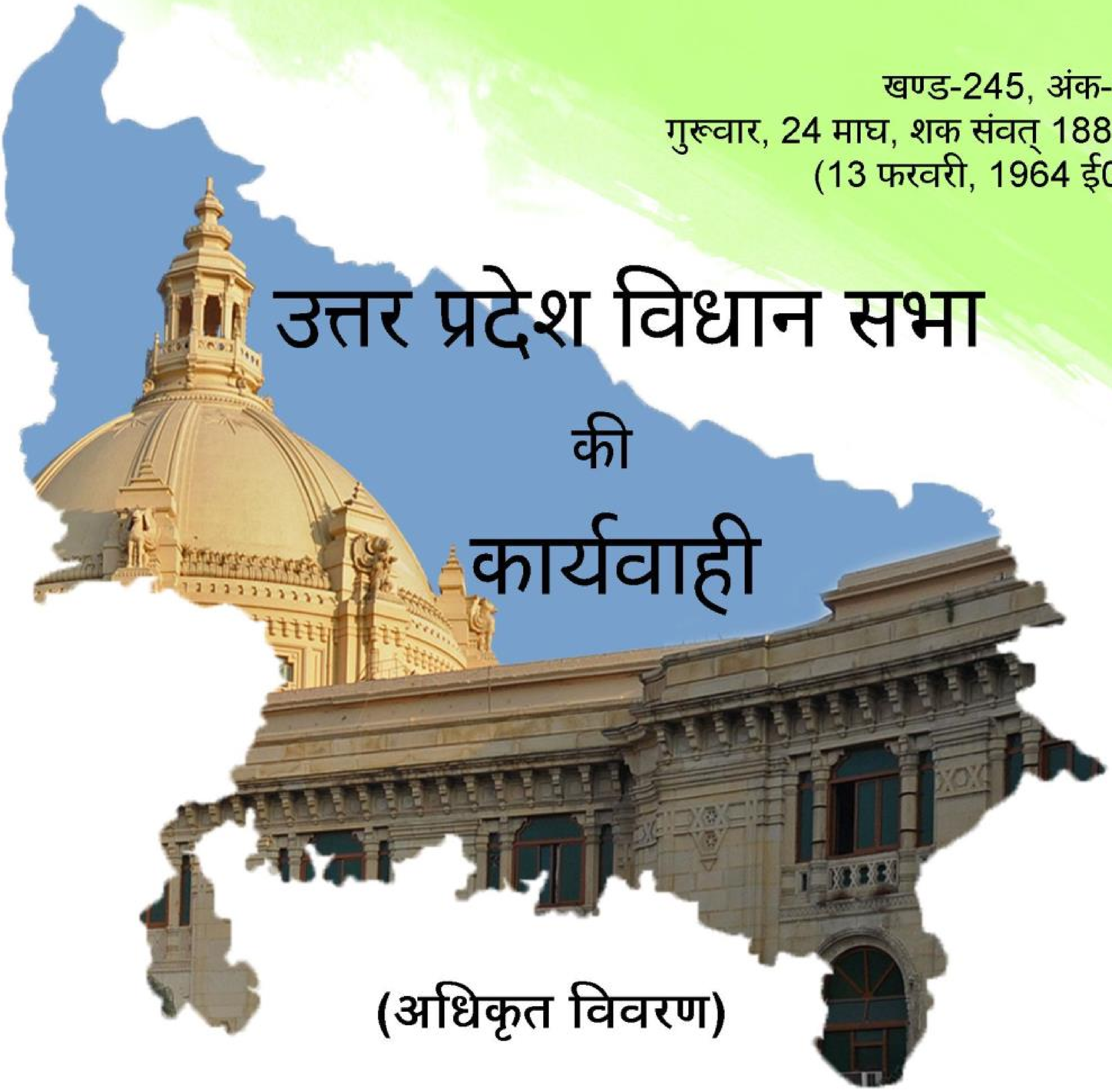

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 245 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७६३–७६७
श्री शिवप्रसाद के निधन पर शोकोद्गार	७६७–७७१
१९६४–६५ का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया)	७७१–७८३

विधान सभा प्रदेश मध्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १३ फरवरी, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मन्डप, लखनऊ, में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३८१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री

गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीश शरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तर्जसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंह नारायण पान्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री

नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातोराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
वसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल श्रीवास्तव, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

संसद सदस्य सभा

यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री

शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उप मंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

श्री शिवप्रसाद के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

माननीय अध्यक्ष जी, आज मुझे आपको एक बहुत दुखद घटना का समाचार देना पड़ रहा है। हमारे माननीय सदस्य शिवप्रसाद जी की, जो देवरिया से चुनकर यहां आये थे, यकायक आज सुबह बलरामपुर अस्पताल में मृत्यु हो गई। वह ५, ७ दिन से कुछ बीमार थे और अपना इलाज कराने के लिये अस्पताल जा रहे थे। डाक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वह अस्पताल में भरती होकर अपना इलाज करावें, परन्तु असेम्बली की बैठक होने के कारण वह अस्पताल में भरती होने में कुछ झिझक रहे थे। आज सुबह यकायक शायद उनकी तबियत खराब हो गई और ४ बजे वह रिक्शा से बलरामपुर अस्पताल पहुंच गये। वहां उनकी हालत काफी खराब दिखाई पड़ी। तभी डाक्टर ने उनकी सुश्रुषा की और ८ बजे यकायक उनकी गति हो गई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

शिवप्रसाद जी एक होनहार नौजवान हरिजन मेम्बर थे। छुटपन में बाबा राघवदास के सम्पर्क में आने के कारण इनमें विचार-परिवर्तन हुआ और १२ साल की उम्र में राघवदास जी इनको दिल्ली ले गये और हरिजन विद्यालय में रह कर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। १९४८ में हरिजन सेवा के लिये यह देवरिया चले गये और उस समय यह कांग्रेस के मेम्बर बने। उसके बाद उन्होंने बंगाल में जाकर भी सेवा की। उत्तर प्रदेश में फिर वापस आये। १९४८ में यह देवरिया जिला बोर्ड के मम्बर बन गये। तब से इनकी सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा हुई और इन्होंने अपना काम जनता को दिखाया। १९५२ में यह चुनकर हमारे सदन के मेम्बर बने और तब से मेम्बर रहे। नौजवान, इनकी उम्र केवल ३५ वर्ष की ही थी। उनके सामने उज्जवल भविष्य था। हरिजनों के लिए एक होनहार और जीते-जागते समाजसेवी यह थे और हम समझते थे कि भविष्य में यह बहुत कुछ काम कर लेंगे, मगर यकायक यह हमारे बीच से चले गये। उनके वृद्ध पिता, माता और परिवार---सबसे बड़ी सन्तान केवल १२ वर्ष की है---के प्रति हमारी सबकी समवेदना है और मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि आज यह सदन एडजर्न हो जाय ताकि जो मेम्बर शव के साथ जाना चाहते हैं, वे जा सकें। फिर ५ बजे बजट के लिये यह सदन बैठे।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवप्रसाद जी के निधन पर जो भावनायें माननीया मुख्य मंत्री जी ने व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने आपको और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। माननीय शिवप्रसाद जी के असामयिक निधन से जो क्षति हुई है, मैं समझता हूं कि यह प्रान्त के लिये बड़ा दुखदाई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि विरोधी दल की ओर से संतप्त परिवार को समवेदना पहुंचाने की आप कृपा करें।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यों ही अपने कमरे से आ रहा था, रास्ते में एक हमारे साथी ने बतलाया कि अब हमारे साथ शिवप्रसाद जी नहीं रहे। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। बाद में पता लगा कि अस्पताल में उनका दिल बैठ गया और वह असमय में ही हमारे बीच से उठ गये। माननीया मुख्य मंत्री जी ने जो दो शब्द समवेदना के रूप में उनके परिवार के पास भेजने के लिये कहा है, उसके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

इनसे मेरी पहले पहल मुलाकात, शायद डाक्टर सीताराम जी को याद होगा, जब मैं बम्बई से आ रहा था तो उनके यहां हुई थी। उनके यहां पहले पहल इनको सन् १९५० या ५१ में देखा था। वह १९५२ में विधायक हुए, तब मैं मजदूरों में काम करता था। गाहे बगाहे जब मैं जिला नियोजन समिति में जाता था तो इनसे मुलाकात होती थी। मैं जब उनके क्षेत्र में राजनैतिक काम से जाता था तो उनके कामों को भी देखता था। मैं १२ साल से इनको बहुत नजदीक से जानता हूं। हरिजनों के मामलों में बड़ी से बड़ी हस्ती, बड़े से बड़े ठाकुरों से, और बड़े से बड़े जमींदारों से लोहा लेने में यह तनिक भी नहीं हिचकते थे।

वह ज्यादा डिग्री यूनिवर्सिटी की तो नहीं पाये थे, मगर जब कभी मीटिंगों में इनसे झड़प होकर यह बाहर निकलते थे तो यह मुस्करा कर आते थे और साथ बैठकर चाय पीते थे। उनके दिल में कभी कोई बात नहीं रहती थी। इनके क्षेत्र में काफी हरिजन बस्तियां बनी हैं और शायद ही देवरिया का कोई हरिजन विधायक होगा जिसके क्षेत्र में इतना काम हुआ हो। जो काम हम लोगों से नहीं हो पाते थे वह करा लेते थे। वह उस पिछड़े इलाके से जहां रोशनी देर से पहुंची, भारी बहुमत से चुन कर आये थे। यह बात नहीं है कि वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरिजन होने के नाते हरिजनों में काम करते थे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हरिजनों में काम करते हैं। यह गांधी जी की और पूज्य बाबा राघवदास जी की परम्परा थी कि लोग हरिजनों में काम करते थे। उसी रास्ते पर शिवप्रसाद जी चले। वह अपने दल के अन्दर कितने प्रिय थे, जहां तक मेरी जानकारी है, उनके विरुद्ध कभी कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठा।

आज उनके साथी, पडरौना के विधायक तिवारी जी और भारतीय जी बड़े दुखी होंगे क्योंकि उनका उनसे बड़ा चोलीदामन का साथ था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारतीय जी किसी मीटिंग में जावें और शिवप्रसाद जी वहां न हों। माननीया मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह विधान सभा के कार्य में तल्लीन रहते थे। वह यहां के और अपने क्षेत्र के कार्यों में काफी दिलचस्पी रखते थे और काफी काम उन्होंने किया भी। नहीं मालूम अभी वह कितना काम करते, मगर अफसोस है कि थोड़ी ही आयु में उनको चले जाना पड़ा।

इन शब्दों में साथ, मैं अपनी और सोशलिस्ट पार्टी की भावनायें आपके पास भेजता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उन्हें उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ताकि उन्हें कुछ ढांढस बंध सके।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, आज सुबह जब यकायक यह खबर मिली कि शिवप्रसाद जी हमारे बीच से चले गये तो जितना रंज पहुंचा, वह बयान से बाहर है। इसलिये कि मौत तो सभी की एक न एक दिन आती है, लेकिन इस कम उम्र में एक अच्छे कार्यकर्त्ता का चला जाना बहुत अफसोस की बात है। सन् १९५२ से आज तक जिस जनता ने उन्हें चुनकर भेजा, उसकी भी उम्मीदों पर यह एक चोट है। यह कोई मामूली घटना नहीं है। उनके तमाम मंसूबे अधूरे रह गये। ऐसी हालत में जितना भी अफसोस जाहिर किया जाय, वह थोड़ा है। माननीया मुख्य मंत्री जी ने जो खयालात जाहिर किये हैं, मैं अपने को और अपनी पार्टी को उनसे शामिल करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे जज़बात उनके खानदान तक पहुंचा दें।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीया अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में आने के बाद ही मुझे माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा जो अत्यन्त दुखद समाचार मिला उससे मुझे बहुत बड़ा कष्ट और ठेस पहुंची। मैं माननीय शिवप्रसाद जी को पिछले ७ वर्षों से बहुत नजदीक से जानता हूं। उनके साथ मुझे काफी काम करने का अवसर मिला। इस सदन की कार्यवाही में वे कम हिस्सा लेते थे लेकिन उनका ज्यादा समय उन कामों के करने में बीतता था जिनके द्वारा वे हरिजनों की खास तौर से सहायता कर सकते थे। वे रचनात्मक कार्यों में अधिक दौड़ धूप करते थे। हरिजनों के लिये प्रशासन से जितनी सहायता वे प्राप्त कर सकते थे उतनी सहायता वे प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे।

वह बड़े गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे और बगैर उत्तेजना के बात करते थे और चीजों को सुलझे हुए तरीके से समझाने की कोशिश करते थे। जैसा कि माननीया मुख्य मंत्री जी ने कहा, उनको सक्रिय रचनात्मक कार्यों से बड़ी रुचि थी। उनकी इस असामयिक मृत्यु पर काफी गहरी ठेस पहुंची है, खास कर उस वर्ग के लोगों को, जिनकी वे नुमायन्दगी करते थे। जिस हरिजन वर्ग की वह नुमायंदगी करते थे उनकी आज भी बड़ी भारी समस्यायें हैं। उनकी राजनैतिक समस्यायें हैं, उनमें आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन है, उसको दूर करने के लिये वे सक्रिय कार्य करते रहते थे।

मैं उनकी भावनाओं को बहुत नजदीक से जानता था। अपने दिल में एक बहुत बड़ी जलन लेकर वे काम करते थे, उस वर्ग के उत्थान के लिये। मैं समझता हूं कि उनके निधन पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

आज इस सदन का प्रत्येक सदस्य दुखी है। आज हमारे बीच से एक होनहार नौजवान जो लगन के साथ सक्रिय काम करते थे वह अचानक आज हमारे बीच से उठ गये। इस संबंध में माननीया मुख्य मंत्री जी ने जो विचार प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने आपको तथा अपनी पार्टी को संबद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी भावनाओं को उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे तथा इस समय सदन को स्थगित करने की कृपा करेंगे ताकि हम उनकी अन्त्येष्टि क्रिया में सम्मिलित हो सकें।

*श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में आने पर मुझे माननीय शिवप्रसाद जी के निधन का समाचार मिला तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। मान्यवर, दुख की बात इस कारण और भी है कि हमारे बीच से अच्छे-अच्छे और कर्मठ कार्यकर्त्ता उठते जा रहे हैं जिनकी भविष्य में पूर्ति बहुत कठिन है। मान्यवर, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने आपको तथा अपने दल, स्वतंत्र पार्टी, को संबद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी समवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

*श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवप्रसाद जी के संबंध में माननीया मुख्य मंत्री जी तथा अन्य नेताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने आपको तथा अपने दल को संबद्ध करता हूं। मैं माननीय शिवप्रसाद जी के संपर्क में सन् १९५४ में आया। वह कदाचित् सन् १९६२ से विधायक थे। उनको मैं भलीभांति जानता था, वे देवरिया से विधायक थे। जैसे ही मैंने यह दुखद समाचार सुना, किंकर्त्तव्यविमूढ़ रह गया। चार दिन पहले ही मुझसे उनकी मुलाकात हुई थी जब वह रिक्शे से उतर रहे थे। मैंने उनसे थोड़ा-सा मजाक भी किया कि नेता जी, आप तो बहुत मोटे हो गये हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि १९५४-५५ से दुबला हो गया हूं क्योंकि इस वक्त कुछ बीमार हूं। श्रीमन्, मुझे यह पता नहीं चला कि वास्तव में वह बीमार थे या नहीं थे। और आज यह दुखद समाचार सुन कर अब मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि दरअसल यह जिन्दगी क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तीन चार दिन पहले मुलाकात हुई, जब कि वह आ रहे थे और आज वह हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन पर हम समवेदना प्रकट करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी और हमारे रिपब्लिकन दल की समवेदना आप साथी शिवप्रसाद जी के संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, सदन के अन्दर माननीया मुख्य मंत्री जी तथा विरोधी दल के नेतागण की तरफ से जो विचार स्वर्गीय श्री शिवप्रसाद जी के निधन के सिलसिले में रखे गये हैं मैं अपनी तरफ से और अपने दूसरे साथियों की तरफ से उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे विचार उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीया मुख्य मंत्री तथा अन्य नेताओं द्वारा जो भावनायें व्यक्त की गयी हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। दीर्घकाल पर्यन्त हमारे देश में समय और रुढ़ियों की कठोरता के कारण हरिजन समुदाय पर जो आवरण पड़ा था और मनुष्य रत्नों से हम वंचित थे, वह आवरण दूर हुआ और उस आवरण के दूर होने के पश्चात् हमने देखा कि हरिजन समुदाय में कैसे नर-रत्न और नर-शार्दूल प्रकट होते हैं जो अपने कर्त्तव्यों को समझ कर दृढ़ संकल्प से कार्यरत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहते हैं। एक ऐसा नवयुवक जो ३५ वर्ष की आयु में भी अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरुक था, हमारे बीच से उठ गया, यह एक दुख का कारण है। हम सभी उनके परिवार के साथ खुद भी संतप्त हैं और हम सदन की तरफ से इस सदन की समवेदना उनके संतप्त परिवार तक भेज देंगे। अब हम एक मिनट खड़े होकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सब सदस्य एक मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और शाम को ५ बजे बजट के लिए एकत्र होंगे।

(इस समय १० बजकर ४८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और सायंकाल ५ बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

१९६४–६५ का आय-व्ययक

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है कि बजट की कापीज सामने की बेंचेज पर पहुंच गई हैं लेकिन वह हम लोगों को नहीं मिली हैं। तो क्या इस तरह से बजट प्रजेन्ट होने के पहले वह दी जा सकती हैं?

श्री अध्यक्ष—

माननीय वित्त मंत्री उस को प्रजेन्ट कर रहे हैं, वह बट रही हैं। माननीय वित्त मंत्री. . . . .

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी तक पिजियन होल्स में साहित्य रख दिया जाता था, अब वह नहीं रखा जाता और पूरा गट्ठा रख दिया जाता है एक साथ, जिसको जो चाहें जब निकाल लें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

साहित्य ठीक से बंटना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जायगा।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष ६४–६५ का आय-व्ययक प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(आय-व्ययक की प्रतियां बांटी गईं।)

श्री अध्यक्ष—

अब सबको प्रतियां मिल गई हैं। माननीय वित्त मंत्री अब अपने भाषण आरम्भ करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्,

योजनाबद्ध, विकासमान आर्थिक व्यवस्था में वार्षिक बजट का क्या स्थान होता है, इस पर पहले कई बार चर्चा हो चुकी है, मुझे फिर से उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है यद्यपि ऐसे अन्तरिम बजटों के आयोजित उपक्रमों में विशेष परिवर्तन या व्यवस्था लाने की

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मुंजायश नहीं रहती तथापि निरन्तर परिवर्तनशील संसार की परिस्थिति का पुनः पुनः मूल्यांकन करना आवश्यक हो ही जाता है जिससे हम यह देख सकें कि लोकतंत्रात्मक सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने में अपने ध्येय और मार्ग से किंचित भी विचलित न हो जायं। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि जिन अनुमानों तथा प्रस्तावों को मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं उनका परिशीलन इसी दृष्टिकोण से करने की कृपा करें ।

परम्परा के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के वास्तविक आंकड़ों, चालू वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों अथवा आगामी वर्ष के बजट अनुमानों के विस्तृत ब्योरे प्रस्तुत करके मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि वे वित्त सचिव के स्मृति-पत्र में दिये हुये हैं । मेरी दृष्टि में मेरे लिये राज्य की वित्तीय स्थिति की सामान्य समीक्षा करना काफी होगा जिससे कि माननीय सदस्य बजट प्रस्तावों से अवगत हो जायं ।

वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के मूल अनुमानों में १३ करोड़ ३५ लाख रु० का राजस्व घाटा था जिसे कर द्वारा अतिरिक्त संसाधन एकत्र करके पूरा करने का प्रस्ताव किया गया था। वर्ष के वास्तविक कार्य-सम्पादन में, राजस्व प्राप्तियों में ११ करोड़ ९४ लाख रु० की वृद्धि हुई जिसमें अतिरिक्त कर से होने वाली प्राप्ति भी सम्मिलित है । इसलिये नये करों से होने वाली कुल प्राप्तियों के आंकड़े पृथक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि दो या तीन मामलों को छोड़कर, वर्ष के अन्तर्गत नये कर के लिये जो उपाय काम में लाये गये उनके अन्तर्गत या तो वर्तमान करों की दरों में वृद्धि की गयी या उनका समायोजन किया गया। फिर भी ऐसा अनुमान है कि इस वर्ष में लगाये गये करों से अपेक्षित ४५७ लाख रु० की अनुमानित प्राप्ति की तुलना में वास्तविक प्राप्तियां ४४४ लाख रु० हुईं । राजस्व प्राप्तियों में ऊपर बताई गई ११ करोड़ ९४ लाख रु० की वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय मूल अनुमान से २ करोड़ ७४ लाख रु० कम हुआ । परिणामस्वरूप वर्ष की समाप्ति के समय कुल राजस्व में १ करोड़ ३३ लाख रु० की बचत हुई ।

चालू वित्तीय वर्ष में हमने राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का अनुमान क्रमशः २०१ करोड़ ८२ लाख रु० और २०६ करोड़ ७९ लाख रु० लगाया था और इस प्रकार ४ करोड़ ९७ लाख रु० का राजस्व घाटा होता था। इस घाटे की पूर्ति अतिरिक्त कर लगाकर की जानी थी। वर्ष के दौरान में कर लगाने के संबंध में कुछ कार्रवाही की गयी जिससे १९९ लाख रु० की प्राप्ति होने का अनुमान लगाया गया था । किन्तु इसके बजाय इस वर्ष केवल १०६ लाख रु० ही प्राप्त होने की संभावना है । पुनरीक्षित अनुमानों में राजस्व प्राप्तियां २०५ करोड़ २ लाख रु० रखी गयी हैं और राजस्व व्यय का अन्दाजा २०६ करोड़ २४ लाख रु० लगाया गया है । इस प्रकार राजस्व का घाटा कम होकर १ करोड़ २२ लाख रु० रह जायगा, जिसे राजस्व सुरक्षित निधि से पूरा करने का प्रस्ताव है । अतिरिक्त कर से प्राप्त होने वाली धनराशि (१०६ लाख रु०) को सम्मिलित करके प्राप्तियों के पुनरीक्षित अनुमान में कुल ३२० लाख रु० की वृद्धि हुई है जब कि राजस्व व्यय के पुनरीक्षित अनुमान में ५५ लाख रु० की कमी हुई है । भू-राजस्व पर लगाये गये अधिभार को वापस ले लिये जाने के परिणामस्वरूप २६८ लाख रु० की कमी होने पर भी प्राप्तियों में वृद्धि की प्रत्याशा का मुख्य कारण यह है कि चालू वर्ष में लगभग १९६ लाख रु० की धनराशि जो कतिपय पुराने बकायों के रूप में थी और जिसके वसूल होने की आशा नहीं थी, वह प्राप्त हो गयी । यह धनराशि आय कर में राज्य सरकार के १३१ लाख रु० के अंश और कतिपय अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाली प्राप्तियों की वृद्धि के रूप में थी । आयोजनागत योजनाओं के राजस्व व्यय के ३४ करोड़ ७९ लाख रु० के मूल अनुमान के स्थान पर पुनरीक्षित अनुमान ३५ करोड़ ९८ लाख रु० है । ११९ लाख रु० की इस वृद्धि के होते हुये भी राजस्व व्यय ५५ लाख रु० कम होने की संभावना है, क्योंकि आयोजनेतर व्यय १७४ लाख रु० कम होने की आशा है ।

पूंजी के अन्तर्गत हमने ६५ करोड़ ३८ लाख रु० के व्यय की व्यवस्था की थी, जिसमें ऋण का संवितरण भी सम्मिलित है। इसमें से आयोजनागत योजनाओं (Plan schemes) के लिये ५५ करोड़ ८५ लाख रु० की व्यवस्था की गयी थी। पुनरीक्षित अनुमानों में ६८ करोड़ ८७ लाख रु० की व्यवस्था रखी गयी है, जिसमें आयोजनागत योजनाओं के लिये ५८ करोड़ ७५ लाख रु० भी सम्मिलित हैं। आयोजनाओं से भिन्न योजनाओं के पूंजी व्यय का संबंध अधिकतर राज्य द्वारा खाद्यान्न के व्यापार से, किसानों को बांटे जाने के लिये उर्वरक खरीदने से, रोडवेज के व्यय तथा आवास और प्रशासन के उपयोग में आने वाले भवनों के व्यय से है।

पुनरीक्षित अनुमानों में आयोजनागत योजनाओं का कुल प्रत्याशित व्यय ९४ करोड़ ७३ लाख रु० रखा गया है, जबकि मूल बजट में ९० करोड़ ६४ लाख रु० की व्यवस्था की गयी थी।

१९६४–६५ के लिये राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का अनुमान क्रमशः २२३ करोड़ ८४ लाख रु० तथा २३५ करोड़ ४३ लाख रु० है। इस प्रकार ११ करोड़ ५९ लाख रु० की कमी होती है। इन प्राप्तियों तथा व्यय, दोनों में, लेखा वर्गीकरण में कतिपय परिवर्तन होने के कारण लगभग ५ करोड़ रु० की अवास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय भी सम्मिलित है। ये धनराशियां केन्द्र से प्रवर्तित योजनाओं के लिये हैं, जिनका हिसाब-किताब राज्य की योजना के बाहर रखा जायगा। अनुमानित राजस्व प्राप्तियों में योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता के रूप में भारत सरकार से मिलने वाले अनुदान का अनुमान २१ करोड़ २० लाख रु० लगाया गया है। इसी प्रकार व्यय के अनुमानों में आयोजनागत राजस्व व्यय के लिये ४४ करोड़ ६१ लाख रु० की व्यवस्था सम्मिलित है। आयोजना के लिये राजस्व व्यय में राज्य का अपना हिस्सा २३ करोड़ ४१ लाख रु० आता है। आयोजनेतर व्यय को पूरा करने के पश्चात्, राजस्व प्राप्तियों से ११ करोड़ ८२ लाख रु० की धनराशि रह जाती है जो योजना व्यय के लिये उपलब्ध होगी जिससे आयोजनागत व्यय का अन्तर कुछ हद तक पूरा हो जायगा। फिर भी शुद्ध राजस्व घाटा ११ करोड़ ५९ लाख रु० तक रह जायगा।

पूंजी व्यय तथा राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम के संवितरण के लिये ९७ करोड़ ४८ लाख रु० की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से ७५ करोड़ ८२ लाख रु० की धनराशि आयोजनागत व्यय के लिये होगी। भारत सरकार ने १२० करोड़ ५२ लाख रु० के आयोजनागत परिव्यय के निमित्त बजट वर्ष में ७८ करोड़ ३० लाख रु० की सहायता देना स्वीकार कर लिया है। हमने इस परिव्यय के लिये १२२ करोड़ २२ लाख रु० रखा है, जिसमें व्यय का वह अंश भी शामिल है जिसे राज्य विद्युत् परिषद् अपने ही साधनों से पूरा करेगी। फलतः बजट अनुमानों में १२० करोड़ ४३ लाख रु० की कुल व्यवस्था की गयी है। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार अपनी सहायता में कम से कम २ करोड़ रु० की और वृद्धि कर देगी।

आयोजना के पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिये बजट वर्ष में ११ करोड़ रु० का ऋण बाजार से लेने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय ऋणों की शोधन निधि (Sinking Fund) की शेष धनराशि कम हो जाने के कारण उक्त निधि में अंशदान करने के निमित्त लगभग ३०० लाख रु० की व्यवस्था की गयी है।

यह स्पष्ट है कि राजस्व प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों में होने वाला ११ करोड़ ५९ लाख रु० का कुल घाटा अपूरित नहीं रखा जा सकता। सरकार बकायों की वसूली शीघ्रता से करने का भरसक प्रयत्न कर रही है। सार्वजनिक प्रशासन पर होने वाले खर्चों में भी किफायत करने की कोशिश उस हद तक की जायगी जिससे कि कार्य-कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। करापवंचन निरोधी उपायों को कड़ा करने के लिये भी और कदम उठाये जायेंगे। किन्तु केवल इन्हीं उपायों से राजस्व का सम्पूर्ण घाटा पूरा नहीं हो पायेगा। अतः अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये कार्यवाही करना अपरिहार्य प्रतीत होता है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मेरा विश्वास है कि इन परिस्थितियों में सदन उन उपायों का अनुमोदन करेगा जो उसके समक्ष यथासमय रखे जायेंगे ।

मैं जानता हूं कि इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्य तथा प्रदेश की जनता आज इस बात से चिंतित है कि बरसात न होने के कारण इस साल रबी की फसल का क्या होगा और उसका क्या परिणाम जनसमाज के आर्थिक जीवन पर पड़ेगा । दुर्भाग्यवश पिछले दो वर्ष से मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया । सन् १९६२–६३ में एक तो वर्षा देर से आरम्भ हुई और फिर बन्द भी जल्दी हुई । देर से होने वाली धान की फसल (late paddy crop) पर इसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और धान के उत्पादन में २ लाख टन से अधिक की कमी हुई, यद्यपि खरीफ की फसलों के कुल उत्पादन में लगभग ६ लाख टन की वृद्धि हुई । रबी की फसल की बुवाई के समय सूखा पड़ने के कारण लगभग सात लाख एकड़ भूमि में रबी की फसल न बोई जा सकी । जाड़े के मौसम में वर्षा बहुत कम हुई । १९६३–६४ के वर्ष का प्रारम्भ काफी अच्छा रहा, किन्तु जनवरी के महीने में समस्त राज्य में असाधारण रूप से तापमान कम हो जाने, शीत लहरी चलने, जाड़े की वर्षा बिलकुल न होने और साथ ही अत्यधिक पाला पड़ने के कारण चालू वर्ष में रबी की फसल को गहरी क्षति पहुंचने की आशंका उत्पन्न हो गयी है ।

यद्यपि प्रकृति और मौसम की प्रतिकूलता पर नियंत्रण रखना अथवा उसका विरोध करना हमारे वश की बात नहीं है तथापि उसका सामना शक्तिभर करने के लिये हमें तैयार रहना होगा । हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि ऐसे प्रतिकूल मौसम का क्या प्रभाव पड़ता यदि हमने पिछले कुछ वर्षों में अपनी योजनाओं के द्वारा उत्पादन बढ़ाने के साधन सृजित न किये होते । वर्तमान स्थिति को देखते हुये यह अत्यावश्यक हो गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सभी दिशाओं में हर संभव प्रयास किया जाय तथा उसके लिये जो साधन प्रस्तुत हैं उनका पूरा-पूरा उपयोग किया जाय । सदन को बजट प्रस्तावों से विदित होगा कि इस निमित्त पर्याप्त व्यवस्था की गयी है ।

कृषि उत्पादन के लिये आवश्यक साधनों में निश्चित रूप से सिंचाई सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । राज्य में सिंचाई की सुविधायें बराबर बढ़ायी जाती रही हैं । चालू वर्ष के अन्त तक सरकारी साधनों की सिंचन-क्षमता बढ़कर १२१ लाख एकड़ से अधिक हो जायेगी । १९६२–६३ के अन्त तक नलकूपों की संख्या लगभग ७,२४० हो गयी थी । अतिरिक्त नलकूपों की व्यवस्था करने की और योजनायें, विशेषकर पूर्वी जिलों के लिये प्रारम्भ कर दी गयी हैं । चीनी मिलों के संरक्षित क्षेत्रों (Reserved Areas) में ३२४ नलकूप बनाये जायेंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ११० नल कूपों का निर्माण करने की एक और योजना चालू की जा रही है । गूलों के निर्माण के कार्यक्रम में संतोषजनक प्रगति हो रही है किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सृजित सिंचाई सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाय । इस उद्देश्य से सरकार ने सिंचाई प्रशुल्कों की एक द्विभागीय प्रणाली प्रारम्भ करने का निश्चय किया है जिससे किसानों को, बिना किसी अतिरिक्त बोझ के, इस बात का प्रलोभन मिलेगा कि जो सुविधायें उन्हें उपलब्ध की गयी हैं उनका वे लाभ उठायें ।

छोटे निजी लघु-सिंचन निर्माण-कार्यों के कार्यक्रम को तीव्र गति से चलाया जा रहा है । वर्तमान अनुमानों के अनुसार सिंचाई की छोटी योजनाओं के अन्तर्गत होने वाला व्यय तीसरी योजना के मूल लक्ष्यों से बढ़ जायगा । राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि निजी सिंचाई कार्यक्रमों के लिये ऋण देने की शर्तों को सरल कर दिया जाय और आवश्यक सामग्रियों के वितरण में उन्हें प्राथमिकता दी जाय । सिंचाई के लिये प्रसार सेवा की एक विशेष योजना भी शुरू की गयी है । सरकार ने सघन तथा प्रगाढ़ रूप से कृषि उत्पादन के लिये दूसरे महत्वपूर्ण कदम भी उठाये हैं । उनमें से एक कार्यवाही यह है कि ऐसे व्यक्तियों को जो

सहकारी समितियों के सदस्य न हों, उर्वरकों तथा अन्य सामग्रियों की सप्लाई की उपलब्धता की सुविधा देने के लिये एक सप्लाई संगठन की स्थापना की गयी है । इस संगठन को बजट वर्ष में और सुदृढ़ किया जायगा और रीजनल मुख्यालयों में समीकरण (buffer) गोदाम बनाये जायेंगे जिससे संग्रह-क्षमता में वृद्धि हो जायगी । उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था चालू वर्ष में १२ १/२ करोड़ रु० थी, जो बढ़ा कर बजट वर्ष में १७ करोड़ ८६ लाख रु० कर दी गयी है । सहकारिता के क्षेत्र में भी अल्पकालिक ऋणों के एक पर्याप्त भाग को सामग्रियों के रूप में वितरित करने का लक्ष्य है जिससे कृषि-उत्पादन के लिये उनके समुचित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके ।

चूंकि राज्य की आर्थिक समृद्धि को विकसित करने का एक-मात्र वास्तविक उपाय कृषि उत्पादन को तीव्र गति से बढ़ाना ही है, १९६४–६५ के आयोजनागत परिव्यय में विभिन्न 'पैकेज' कार्यक्रम (Package Programmes) भी सम्मिलित किये गये हैं । तदनुसार बस्ती और वाराणसी जिलों में चावल उत्पादन के लिये 'पैकेज' कार्यक्रम चलाये जायेंगे । आगरा, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, जालौन और हमीरपुर जिलों में ज्वार, बाजरा और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये योजना चलाई जायगी । आलू के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये, आलू-विकास की एक योजना अलग से आरम्भ की गयी है । मूंगफली के लिये 'पैकेज' कार्यक्रम तीन जिलों में पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है और कपास, तोरिया तथा सरसों के लिये 'पैकेज' कार्यक्रम १९६४–६५ में शुरू किये जायेंगे जिनके लिये आरम्भिक तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गयी हैं ।

चीनी मिल के आस-पास के लगभग चार हजार एकड़ भूमि में गन्ने की प्रगाढ़ खेती की योजना, जो २५ मिल क्षेत्रों में लागू की गयी थी, अब राज्य की सभी मिलों में लागू कर दी गयी है और ६६ मिलों ने इसमें भाग लेना स्वीकार भी कर लिया है ।

सहकारिता के क्षेत्र में, भूमि बन्धक बैंक ने अपनी स्थापना के थोड़े ही समय के भीतर उल्लेखनीय प्रगति कर ली है । इस बैंक ने भूमि-विकास के लिये दीर्घकालिक ऋणों के रूप में १०५ लाख रु० वितरित किये हैं । बैंक की ५१ शाखायें खोली जा चुकी हैं और इस वर्ष और नयी शाखायें खोली जा रही हैं ।

किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य सुलभ बनाने के लिये सदन में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन (मन्डी) विधेयक पुरःस्थापित किया गया है, जो प्रवर-समिति के विचाराधीन है । इस बात के लिये भी कार्रवाही की जा रही है कि जिला खंड और गांव-सभा स्तर के समस्त प्रसार अभिकरणों (Extension Agencies) द्वारा कृषि उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय । कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों के लिये, जिनमें सहकारिता भी सम्मिलित है, चालू वर्ष में लगभग ८ करोड़ ५३ लाख रु० धनराशि के परिव्यय की व्यवस्था की गयी थी जिसकी तुलना में बजट में १० करोड़ रु० की धनराशि के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है । इस प्रकार सरकार कृषि को और भी अधिक ठोस आधार पर रखने के लिये सभी प्रकार से प्रयत्न कर रही है । इस अवसर पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खेती से और उसकी पैदावर को बढ़ाने से सम्बन्धित सारे प्रशासकीय विभागों पर, इस दिशा में सरकार को सफल बनाने का बड़ा भारी उत्तरदायित्व है । आज उनका यह नैतिक कर्त्तव्य है कि वे अपने व्यवहार और अपनी व्यवस्था से वह वातावरण उत्पन्न करें जो उत्पादकों को खेती की पैदावार के लिये उत्साह प्रदान करे तथा उन्हें अपने सम्पन्न भविष्य की रचना के लिये विश्वास के साथ आगे बढ़ाने की प्रेरणा प्रदान करे । साथ ही साथ यह भी स्पष्ट है कि सरकारी प्रयत्नों से ही वांछित परिणाम प्राप्त होना सम्भव नहीं है । राज्य की जनता का अधिकांश भाग जो खेती का काम करता है उसे भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देना है । यह निर्विवाद है कि हमारे राज्य की भलाई और विकास तथा समृद्धि प्रत्यक्ष रूप में प्रगाढ़ कृषि उत्पादन से ही सम्बद्ध है, अतः मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों तथा सदन के बाहर की विशाल जनसेवी शक्तियों और प्रवृत्तियों से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें और उत्पादन वृद्धि के संदेश को गांव-गांव पहुंचा कर

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उस जनशक्ति का प्रबोधन करें जो इस प्रदेश की आर्थिक सम्पन्नता के पथ को प्रशस्त करने में सफल होगी।

राज्य को समृद्धिशाली बनाने का दूसरा महत्वपूर्ण साधन विद्युत शक्ति है। प्रसन्नता की बात है कि गत दो वर्षों में, राज्य में विद्युत् शक्ति की उपलब्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य में कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता १९६२-६३ के अन्त में ५६८ मेगावाट थी, जो चालू वित्तीय वर्ष में बढ़कर ६०१ मेगावाट हो जायगी और जो आगामी वित्तीय वर्ष में बढ़कर ६१४ मेगावाट हो जायगी। रिहन्द में ५० मेगावाट की एक नयी मशीन लगाने का काम हो रहा है और हरदुआगंज में ३० मेगावाट की एक नयी मशीन शीघ्र ही चालू हो जायगी, इसके अतिरिक्त, तीस-तीस मेगावाट के दो सेट वहां पहले से ही काम कर रहे हैं। हरदुआगंज में पचास-पचास मेगावाट के दो थरमल (तापीय) सेट लगाने की एक और प्रायोजना स्वीकृत की गयी है और उसके लिये सोवियत रूस से प्लांट मंगाने का प्रबन्ध पूरा हो गया है। अब पनकी (कानपुर) में ६४ मेगावाट का एक नया बिजली घर बनवाने का काम हो रहा है। यमुना जल विद्युत् योजना के प्रथम चरण का कार्य बहुत तेजी से जारी है और इस योजना के अन्तर्गत पहला बिजली घर सम्भवत: जून, १९६५ तक चालू हो जायगा। मा टीला जल विद्युत् योजना भी भलीभांति प्रगति कर रही है और आशा है कि १० मेगावाट की ली मशीन दिसम्बर, १९६४ के अन्त तक तैयार हो जायगी।

राज्य में २२० के० वी० ट्रंक लाइन का निर्माण करके विभिन्न बिजली घरों को मिलाने की योजना भी संतोषजनक रूप से प्रगति कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के सभी भाग एक ही ग्रिड के अन्तर्गत आ जायेंगे।

राज्य में १५०० गांवों को बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था योजना में थी। राज्य विद्युत् परिषद् को आशा है कि इस व्यवस्था को दुगुना करके वह १९६५-६६ के अन्त तक ३००० गांवों को बिजली उपलब्ध करा देगा। इनमें से एक बड़ी संख्या राज्य के पूर्वी तथा अन्य पिछड़े हुए भागों में होगी।

चालू वर्ष में विद्युत् योजना का प्रत्याशित परिव्यय २० करोड़ २१ लाख रु० है, जिसमें उत्तराखंड सम्मिलित नहीं है। यह प्रत्याशित परिव्यय अगले वर्ष बढ़ाकर लगभग २९ करोड़ रु० कर दिया गया है। उत्तराखंड में चार नये बिजली घर लगाने का काम हो रहा है। विद्युत् परिषद् ने श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के मन्दिरों में भी बिजली लगा देने का निर्णय किया है। चौथी आयोजना के लिये विद्युत् योजनायें तैयार करने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है और यह सम्भव है कि उनमें से कुछ पर प्रारम्भिक कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही शुरू कर दिया जाय। हमारे प्रदेश में बिजली की शक्ति की कमी हमारे औद्योगिक विकास में सबसे बड़ी बाधा रही है। इस कमी को दूर करने के लिये हमारी चेष्टा तीव्रगति से बढ़ी है। एक ओर खेती का उत्पादन बढ़े और दूसरी ओर बिजली की शक्ति की उपलब्धि और प्रसार आवश्यकतानुसार हो जाय तो यह प्रदेश अपने व्यावसायिक और औद्योगिक विकास के मार्ग पर उत्तरोत्तर बढ़ता चलेगा। अगले वर्ष के बजट में इस दृष्टि को सामने रखकर योजनागत व्यय की व्यवस्था करने की चेष्टा की गयी है।

चालू वर्ष में, उद्योग के क्षेत्र में, बड़े या मध्यम प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिये ३५ नये लाइसेंस दिये गये हैं और इस प्रकार आयोजना के प्रारम्भ से कुल १७५ लाइसेंस दिये जा चुके हैं। हाल में जिन नयी यूनिटों ने उत्पादन करना प्रारम्भ किया है उनमें से ये यूनिटें प्रमुख हैं—सिनथेटिक ऐंड केमिकल्स लिमिटेड, बरेली, ए० सी० एस० आर० कन्डक्टर फैक्ट्री, लोनी; कैलशियम कार्बोनेट फेक्ट्री, ऋषिकेश तथा शुगर मिल मशीनरी प्रोजेक्ट, इलाहाबाद। सार्वजनिक क्षेत्र में, ऐंटी बायोटिक्स फैक्ट्री, ऋषिकेश द्वारा इस वर्ष उत्पादन प्रारम्भ करने की संभावना है। हाल ही में डिजेल लोकोमोटिव फैक्ट्री, वाराणसी में पहला डिजेल लोकोमोटिव तैयार

हुआ। सिंग्रोली की कोयले की खानों का विकास तथा उपयोग निर्धारित क्रम से हो रहा है और उम्मीद है कि १९६५ में इन खानों से कोयला उपलब्ध होने लगेगा। राजकीय क्षेत्र में मिर्जापुर जिले के डल्ला में सीमेंट की एक नयी फैक्ट्री की स्थापना की योजना भी तीसरी आयोजना में सम्मिलित कर ली गयी है।

राज्य उद्योग निगम ने अब तक ११ निर्माण संस्थाओं के १६९ लाख रु० के शेयर के निर्गमों (issues of shares) का निम्नांकन (under-writing) करने का निश्चय किया है। निगम को ३६,००० टन डेड बर्न्ट (dead burnt) मैगनेसाइट प्रति वर्ष तैयार करने के लिये लाइसेंस मिला है। यह निगम मिर्जापुर में चूने का उद्योग प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा है।

गाजियाबाद तथा बरेली में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिये प्राप्त की गयी भूमि का विकास कर दिया गया है और गाजियाबाद में उद्योगों को प्लाट अलाट किये जा रहे हैं। आयोजना में सम्मिलित ५१ इंडस्ट्रियल स्टेटों में से ८ स्थानों में निर्माण का कार्य समाप्त हो चुका है और दूसरे ३९ स्थानों में यह कार्य जारी है। सम्प्रति औद्योगिक आस्थानों में १८८ इकाइयां काम कर रही हैं जबकि दो वर्ष पहले २५–३० इकाइयां ही काम कर रही थीं। ऐसी आशा की जाती है कि १९६५ तक लगभग १,६०० इकाइयां इन्डस्ट्रियल स्टेटों में काम करने के लिये तैयार हो जायंगी, जिनमें लगभग २५,००० व्यक्तियों को काम मिल जायगा। परन्तु इस बात का खयाल रखना चाहिये कि इंडस्ट्रियल स्टेटों की सफलता कच्चे माल की उपलब्धि और विदेश से आने वाली मशीनों पर निर्भर करेगी और इन दोनों की सप्लाई बहुत कम है। भारत सरकार इस मामले में ध्यान दे रही है और मैं आशा करता हूं कि वह इस स्थिति को सुधारने के लिये कोई ठोस कदम उठायेगी।

सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्य के लघु उद्योगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले ८ महीनों में राज्य की लघु इकाइयों ने सप्लाईज और डिस्पोजल्स के डाइरेक्टर जनरल से ४ करोड़ ४७ लाख रु० से अधिक के आर्डर प्राप्त किये हैं, जबकि १९६१–६२ में १ करोड़ ४३ लाख रु० के ही आर्डर प्राप्त हुये थे।

राज्य की सहकारी चीनी मिलें धीरे-धीरे अपने कार्य में सुधार कर रही हैं। पुरानी चीनी मिलों को फिर से चलाने और उनके आधुनिकीकरण के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है। ४८ चीनी मिलों की क्षमता में वृद्धि करने के आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की गयी है।

सड़क निर्माण प्रायोजनायें निर्धारित कार्यक्रम से आगे रही हैं। तृतीय आयोजना के प्रथम दो वर्षों में ७३१ मील नयी लम्बी तथा पक्की सड़कों का निर्माण करवाया गया और उन पर यातायात चालू हो गया। यह संभावना है कि चालू वर्ष के अन्त तक ४०२ मील और लम्बी सड़कों का निर्माण किया जायेगा तथा २३ नये पुलों पर यातायात चालू हो जायगा। इनमें से बहुत से पुलों के बन जाने से राज्य के पिछड़े हुये क्षेत्र यातायात के लिये खुल जायेंगे। उदाहरण-स्वरूप कुछ पुल इस प्रकार हैं——वाराणसी-बलिया सड़क पर टोंस नदी का पुल, गोंडा-बाराबंकी सड़क पर सरयू नदी का पुल, केराना में यमुना नदी का पुल तथा नौतघाट पर बेतवा नदी का पुल। बजट वर्ष में सड़क और पुल सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये निर्धारित धनराशि ६ १/२ करोड़ रु० है और इस कार्यक्रम में ३०० मील लम्बी और नयी सड़कों का निर्माण, २५० मील लम्बी वर्तमान सड़कों का सुधार तथा १५ नये पुलों का पूरा किया जाना सम्मिलित है।

संकटकालीन स्थिति उत्पन्न होने के कारण नागरिक सुरक्षा के कार्यों के लिये धन की व्यवस्था करनी पड़ी। अतः समाज सेवा कार्यक्रमों की प्रगति में कुछ बाधा पड़ गयी। इस क्षेत्र में हमारी समस्यायें वास्तव में बहुत बड़ी हैं और हमारे पास जो साधन हैं वे हमारी आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम हैं। परिणामस्वरूप हम प्राथमिक तथा प्राविधिक शिक्षा और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्रों में बहुत पिछड़े हुये हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिये हमें

[श्री कमलापति त्रिपाठी]--

दीर्घकाल तक अथक प्रयत्न करने पड़ेंगे। साधनों की समस्या हमारे सामने तब तक बनी रहेगी जब तक कि हम कृषि तथा औद्योगिक दोनों क्षेत्रों के उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि न कर पायें।

श्री काशीनाथ मिश्र --

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने सदन का समय तो बढ़ाया नहीं। अब साढ़े पांच बज चुके हैं। न कोई प्रस्ताव आया है और न टाइम बढ़ाया है। आपको तो स्वतः हक है कि आप सदन का समय बढ़ा दें या वह कोई प्रस्ताव ले आयें। इस तरह से मुख्य मन्त्री की कोई चौपाल तो यह है नहीं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सुन लिया। जितनी देर यह कार्य चलेगा तब तक सदन बैठेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी --

अपने सीमित साधनों से आयोजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिये लगभग १ करोड़ रु० और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत लगभग ९७ लाख रु० के अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था करके हमने समाज सेवाओं के अन्तर्गत अपने कार्यक्रमों को बढ़ाने की चेष्टा की है।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पिछड़ेपन का मुख्य कारण यह है कि ६ से ११ वर्ष तक की उम्र की पाठशाला जाने वाली बालिकाओं का प्रतिशत बहुत कम है। इस आयोजना के पहले दो वर्षों में इस उम्र के बच्चों की भरती में बालकों का प्रतिशत ६५ से बढ़कर ७३ हुआ पर बालिकाओं का प्रतिशत १९ से बढ़कर २८ ही रहा। स्पष्ट है कि बालिकाओं की शिक्षा सुविधायें बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है। इसके लिये अगले वर्ष के बजट में व्यवस्था की जा रही है। किन्तु यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले माता-पिता अपनी लड़कियों को अधिक संख्या में स्कूल भेजने के लिये राजी हों। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये पंचायतराज संस्थायें महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं और मैं इस सदन के सदस्यों से भी इस सम्बन्ध में हाथ बटाने के लिये निवेदन करूंगा।

विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान-सज्जा की व्यवस्था तथा प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिये अनुदानों में वृद्धि की गयी है। बहुत से डिग्री कालेजों में नयी विज्ञान कक्षायें खोली गयी हैं। उत्तराखंड में उच्चतर शिक्षा की सुविधायें देने के हेतु पिठौरागढ़ में एक सरकारी डिग्री कालेज खोला गया है। संकट-कालीन स्थिति में प्राविधिक शिक्षा के कार्यक्रमों का महत्व और अधिक बढ़ गया है और रुड़की विश्वविद्यालय में रासायनिक तथा धातु-विज्ञान सम्बन्धी इंजीनियरिंग के दो नये डिग्री-कोर्स तथा सिविल और टेली-कम्युनिकेशन (tele-communication) विषयक इंजीनियरिंग के विशेष अतिरिक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। खुर्जा, हाथरस, मथुरा, इलाहाबाद तथा नैनीताल की बहुधन्धी संस्थाओं (पालीटेकनिक) में प्रति वर्ष भरती किये जाने वाले छात्रों की संख्या १२० से बढ़ाकर १८० कर दी गयी है और गवर्नमेंट पालीटेकनिक, कानपुर में यह संख्या बढ़ाकर २४० कर दी गयी है। चालू वर्ष में फैजाबाद, आजमगढ़, बरेली तथा झांसी की नयी बहुधन्धी संस्थाओं (पालीटेकनिक) में कार्य आरम्भ हो गया है। आयोजना की समस्त अवधि के लिये प्रस्तावित २९ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में से २७ संस्थाओं में कार्य शुरू हो गया है। शेष २ आगामी वर्ष में खोली जायेंगी।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के प्रयत्न जारी हैं। मेरठ में एक नये मेडिकल कालेज खोलने के प्रस्ताव के अतिरिक्त उन अन्य उपायों पर भी विचार किया जायेगा जिनका राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उच्च प्राधिकार समिति सुझाव देगी। इस

समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही उपलब्ध होने की आशा है। अगले वर्ष की आयोजना में चिकित्सालयों की रोगी-शय्याओं में वृद्धि करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि यह कार्यक्रम पिछड़ गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अधिक संख्या में खोले जायेंगे और चिकित्सालयों तथा औषधालयों को अच्छी सज्जा उपलब्ध कराने का प्रबन्ध किया जायगा।

चेचक उन्मूलन कार्यक्रम राज्य में अक्तूबर, १९६२ में प्रारम्भ किया गया था। यह कार्यक्रम अब ३६ जिलों में चलेगा और अगले वर्ष तक सम्पूर्ण राज्य में इसका प्रसार कर दिया जायगा। संचारी रोगों के नियन्त्रण के अन्य कार्यक्रमों पर भी यथोचित ध्यान दिया जा रहा है।

पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास की समस्या का उल्लेख करना भी आवश्यक है। राज्य सरकार ने अपने साधनों की सीमा के भीतर रहते हुये इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को सदैव ध्यान में रखा है। तृतीय आयोजना के दौरान में सरकार ने इन क्षेत्रों में सड़कों, उद्योगों, प्राविधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने प्रयत्नों में वृद्धि की है। राज्य के सबसे अधिक पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम को तेजी के साथ चलाने की आवश्यकता को आयोजना आयोग तथा राज्य सरकार के संयुक्त अध्ययन दल के प्रतिवेदन से और भी अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। इस दल का प्रतिवेदन राज्य सरकार को मिल गया है। दल ने जिन चार जिलों को नमूने के अध्ययन के लिये चुना था उनके विकास के लिये एक व्यापक आयोजना तैयार की है। उक्त दल ने इन जिलों में कृषि, औद्योगिक तथा सड़क-निर्माण आदि कार्यक्रमों में एक भारी पूंजी विनियोग का सुझाव दिया है। हम तो चाहते थे कि इस क्षेत्र के इन्हीं जिलों के समान अधिक पिछड़े जिलों के लिये भी इसी प्रकार की योजनायें तैयार करना संभव होता। सरकार निश्चय ही उक्त दल की सिफारिशों को लागू करने के लिये यथाशक्ति प्रयत्न करेगी परन्तु इसके परिव्ययों के लिये बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी जिसकी पूर्ति करना राज्य सरकार की क्षमता के पूर्णत: बाहर है। उक्त दल ने इस बात पर जोर दिया है कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना एक राष्ट्रीय दायित्व है। अतएव यह आवश्यक है कि दल द्वारा जिन विकास कार्यक्रमों की सिफारिश की गयी है उनके वित्तपोषण के लिये केन्द्र उदारता पूर्वक अनुदान दे। इस विषय में केन्द्रीय सरकार से हमारी बातचीत हो रही है और सरकार उत्सुक है कि केन्द्रीय सरकार की सहायता से इस दिशा में शीघ्र ही कदम उठाया जाय।

आयोजना सम्बन्धी कार्यवाहियों के साथ-साथ, हम नागरिक सुरक्षात्मक कार्यों को भी सुदृढ़ आधार पर रखने का प्रयास निरन्तर करते आ रहे हैं। प्रांतीय रक्षा दल तथा होम गार्ड की योजनाओं को अब एक समुचित आधार पर चलाया जा रहा है और ग्रामीण तथा शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में, कर्मचारियों के प्रशिक्षण में संतोषजनक प्रगति हो रही है। राष्ट्रीय सेना छात्र दल (N. C. C.) का प्रशिक्षण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है और सशस्त्र सेना के इमरजेंसी कमीशन में भरती करने के लिये, सैनिक छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना का आधार अब बड़ा व्यापक कर दिया गया है और अब यह कार्य राष्ट्रीय सेना छात्र दल के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। दूसरा सैनिक स्कूल स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य में काफी प्रगति हो चुकी है और आशा की जाती है कि यह स्कूल जनवरी, १९६५ से चलने लगेगा।

मैंने फसलों के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता पहले ही व्यक्त कर दी है। निश्चय ही विगत कुछ काल से बढ़ते हुये मूल्यों के कारण हम सभी परेशान हैं। किन्तु किसी भी प्रशासन के लिये प्रभावकारी ढंग से मूल्यों पर काबू पाना बहुत ही दुष्कर है और अकेले किसी राज्य सरकार के लिये अपने प्रयासों से ऐसा कर सकना तो प्राय: असम्भव ही होता है। जहां तक इस राज्य सरकार का सम्बन्ध है, मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चावल का स्थानीय रूप से पर्याप्त परिमाण में संग्रह करने तथा बाहर से मंगाये गये गेहूं की सप्लाई भारत सरकार से बराबर प्राप्त करने के लिये प्रभावकारी कदम उठाये जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त परिमाण में गेहूं बराबर मंगाया जा रहा है। राज्य में आटे की मिलों का सम्पूर्ण आटा, उचित मूल्य पर गल्ले की दूकानों में बिक्री के लिये नियत कर दिया गया है। ग्रामीण जनता के लाभ की दृष्टि से,

[श्री कमलापति त्रिपाठी]—

देहातों में चीनी के लिये खोली गयी उचित मूल्य की दूकानों को आटा तथा गेहूं भी बेचने के लिये कहा गया है।

आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने योजना के कार्यान्वयन तथा उसके प्रतिफल का अध्ययन करने के लिये एक मूल्यांकन संगठन स्थापित करने का उल्लेख किया था। इस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और विभिन्न योजनाओं तथा उनके वित्तीय परिणामों का मूल्यांकन करने के लिये एक संगठन स्थापित करने का निर्णय शीघ्र ही कर लिया जायेगा जो अगल बजट वर्ष में कार्य आरम्भ कर देगा।

अब मैं बजट में सम्मिलित किये गये कुछ नये प्रस्तावों की चर्चा करना चाहता हूं। सदन को ज्ञात है कि इसी राज्य ने देश में सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करके, सामाजिक सुरक्षा के कार्यों को आरम्भ किया है। किन्तु दुर्भाग्यवश हमारी संसाधन स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इस प्रकार की योजनाओं में और अधिक वृद्धि कर सकें अथवा नयी योजनायें आरम्भ कर सकें। किन्तु सरकार यह अनुभव करती है कि अन्य विकास योजनाओं की भांति हमें अपने संसाधनों की सीमाओं के भीतर रहते हुये यथासम्भव ऐसी योजनाओं को भी चलाना चाहिये। तदनुसार अगले वर्ष के बजट में हमने अपनी स्थिति के अनुसार एक छोटी-सी धनराशि की व्यवस्था की है। मैं वास्तव में यह चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार उचित समय के भीतर देश में एक सामाजिक परिवर्तन लाने की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप इस मामले पर विचार करे और सभी राज्यों में समान रूप से लागू होने योग्य कोई योजना अखिल भारतीय स्तर पर बनाये। हमने जो थोड़े से उपाय करने का निश्चय किया है उनके लिये भी वास्तव में हमारे पास उतने वित्तीय साधन नहीं हैं। मुझे आशा है कि इन योजनाओं के लिये भी कुछ केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी।

सरकार ने वृद्धावस्था की पेंशन की दरों को आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से १५ रु० प्रति मास से बढ़ाकर २० रु० प्रति मास करने का निश्चय किया है। उसने सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में यह भी निश्चय किया है कि वह जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों (हायर सेकेन्डरी स्कूलों) के अध्यापकों की सेवा में रहते हुये, मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को उनके ६ महीने के मूल वेतन के बराबर ग्रेच्युइटी दे, यदि अध्यापक ने मृत्यु के समय ३ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। ग्रेच्युइटी का भुगतान एक ऐसी निधि से किया जायगा जो आगामी बजट वर्ष में कायम की जायगी और जिसमें आवश्यक अंशदान वर्ष प्रति वर्ष, जैसा कि आवश्यक होगा, दिया जायेगा।

सरकारी पेंशनरों से समय-समय पर पेंशनों की दरें बढ़ाने के लिये बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। अभाग्यवश अब तक उनकी मांग को मान लेना संभव नहीं हो सकता था। किन्तु वर्तमान दशा को ध्यान में रखते हुये सरकार ने निश्चय किया है कि आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ९५ रु० तक मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की दरों में ५ रु० प्रति मास की वृद्धि की जाय और ९५ रु० से १०० रु० तक प्रति मास पेंशन पाने वालों के लिये सीमांत समायोजन (marginal adjustment) किया जाय ताकि उनकी पेंशन १०० रु० प्रति मास तक हो जाय।

अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकार का यह दृष्टिकोण है कि सार्वजनिक प्रशासन में कार्य-कुशलता बनाये रखने और उसे बढ़ाने के लिये सामाजिक सुरक्षा अत्यावश्यक है जिसमें सेवा की सुरक्षा भी सम्मिलित है। तदनुसार सरकार ने अस्थायी पदों को धीरे-धीरे स्थायी पदों में परिवर्तित करने की नीति अपनायी है। बजट वर्ष में ९७७६अस्थायी पदों को स्थायी किया जायगा। इतने पर भी एक बड़ी संख्या में अस्थायी पद अनिवार्य रूप से चलते रहेंगे। सरकार ने यह देखा है कि अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की सेवा-काल में मृत्यु हो जाने से उनके परिवारों का भरण-पोषण करने वाला नहीं रह जाता और वे दरिद्रता की स्थिति में

पड़ जाते हैं। अतएव यह निश्चय किया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष से नियमित अस्थायी अधिष्ठानों के अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को, अस्थायी कर्मचारी की सेवा में रहने के समय मृत्यु हो जाने पर, उसके छः मास के मूल वेतन के बराबर ग्रेच्युइटी देने की प्रणाली शुरू की जाय, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उसने अपनी मृत्यु के समय तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

रहन-सहन के बढ़ते हुये व्यय को देखते हुये, सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से उन सभी पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की वर्तमान दरों में जिन्हें ऐसा भत्ता मिल रहा है, ५ रु० प्रति मास की वृद्धि करने का निर्णय किया है, पर प्रतिबंध यह है कि उनका वेतन अधिष्ठान बजट से दिया जा रहा हो और उसे वे १९४७ के पुनरीक्षित वेतन-क्रम में पा रहे हों। सरकार ने मंहगाई भत्ता पाने के लिये उच्च वेतन की सीमा ४५० रु० से बढ़ाकर ८५० रु० प्रति मास करने का भी निश्चय किया है, परन्तु इस वेतन सीमा में महंगाई भत्ते की दर ४० रु० प्रति मास से अधिक न होगी। ५ रु० प्रति मास की दर से महंगाई भत्ते की वृद्धि जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को भी मिलेगी, परन्तु आवश्यकतानुसार सीमान्त समायोजन (marginal adjustment) कर लिए जायंगे।

सरकारी कर्मचारियों के लिये अभी तक आरम्भिक सुविधाओं के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उदाहरणार्थ, उनके लिये मनोरंजनकक्ष, वाचनालय, खेल-कूद के क्लब, कैफे, आदि स्थापित नहीं किये गये हैं। यह निर्विवाद है कि कार्य-दक्षता बनाये रखने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। अतएव सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिये पूर्वोक्त सुविधायें देने के निमित्त प्रति व्यक्ति १ रु० की दर से व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है। प्रारम्भ में इस प्रयोजन के लिये अगले वर्ष के बजट में ४ लाख रु० की व्यवस्था की गई है। इस धनराशि में से आवश्यक निधियां, विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यपों के अधिकार में इस शर्त के साथ दी जायंगी कि स्वयं सरकारी कर्मचारी भी १ रु० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से इतनी ही धनराशि देंगे। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी ही व्यवस्था करने में प्रायः ४ करोड़ रु० से अधिक ही व्यय करना पड़ेगा।

सदन को ज्ञात है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण का प्रश्न समय-समय पर सदन में और सदन के बाहर भी उठाया जाता रहा है। सरकार ने कई बार इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस राज्य में जो वेतन-क्रम हैं वे बहुत से अन्य राज्यों के वेतन-क्रमों से भिन्न नहीं हैं। फिर भी सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अब वह समय आ गया है जब कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के वेतन-क्रमों और सेवा की अन्य शर्तों को युक्ति-संगत बनाना आवश्यक है। तदनुसार इस प्रयोजन के लिये शीघ्र ही एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया गया है।

इस स्थान पर एक विशेष बात का उल्लेख करना चाहता हूं। जहां सरकारी कर्मचारियों की सुविधा की ओर ध्यान देना आवश्यक है वहीं उस से भी अधिक आवश्यक यह है कि प्रशासन को शुद्ध और पवित्र बनाये रखने में कोई बात उठा न रखी जाय। लोकतंत्र प्रशासन की सफलता जनता के विश्वास और उसके सहयोग पर ही निर्भर होती है। इस विश्वास और सहायता की प्राप्ति शुद्ध, निष्पक्ष और कार्यकुशल प्रशासन को ही हो सकती है। सरकार ने विजिलेंस कमीशन की स्थापना करके इस ओर सक्रिय कदम उठाने का निश्चय किया है।

श्रीमन्, मेरा भाषण अब लगभग समाप्ति पर है। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि शीघ्र ही हमारी आयोजना का चौथा वर्ष आरम्भ होने वाला है, माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि हमारे लिये अधिक से अधिक प्रयत्न करना बहुत ही आवश्यक है। यह हो सकता है कि हमने जो व्यवस्थायें की हैं वे हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतीत न हों, फिर भी माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि कृषि उत्पादन, सिंचाई, विद्युत् उत्पादन तथा औद्योगिक योजनाओं के कार्यक्रमों के लिये बजट में जो व्यवस्थायें की गयी हैं वे हमारे संसाधनों को देखते हुये किसी भी प्रकार कम नहीं हैं। समाज सेवाओं के बारे में मैंने अपनी कठिनाइयों का पहले ही

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उल्लेख कर दिया है। किन्तु सदन इस बात को महसूस करेगा कि सरकार ने इन परिस्थितियों में अधिक से अधिक जो कुछ किया जा सकता था वह करने का प्रयत्न किया है। अधिक से अधिक प्रयत्न करने की हमारी इच्छा का प्रमाण इस बात से भी मिलेगा कि हमने आयोजना परिव्यय के लिये १२२ करोड़ रु० से अधिक की व्यवस्था की है, यद्यपि हमें अब तक केवल १२० करोड़ ५२ लाख रु० की ही सहायता का आश्वासन केन्द्र से मिला है। उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन हम सबके लिये लज्जाजनक है जिसे जल्द-से जल्द दूर करने के लिये भरसक प्रयत्न करना है। भारत सरकार को भी हमारी आवश्यकतायें भलीभांति विदित हैं और मुझे आशा है कि उनका विचार करके वह तदनुसार अपनी सहायता में वृद्धि करेगी।

मैं यह भली-भांति जानता हूं कि आर्थिक विकास की फल-प्राप्ति केवल योजना बनाने से या उसके निमित्त बजट में व्यवस्था कर देने से ही नहीं हो सकती। उसके लिये ऊपर से नीचे तक सारे प्रशासकीय यंत्र को, पदों पर रहने वाले सारे सहकर्मियों और कर्मचारियों को तथा सम्पूर्ण राज्य को एक होकर अथक प्रयत्न करने की अत्यावश्यकता है। हमारी यह दृढ़ भावना है कि किसी वर्ग-संघर्ष और रक्त-पात के बिना शान्ति और उचित उपायों से अपने देश को सुखी और समृद्ध बनाने का एक ही रास्ता है और वह है लोकतंत्र के मार्ग से, लोकतंत्र के आधार पर समाजवादी राज्य-व्यवस्था की प्रतिष्ठा करना। इस ध्येय को स्पष्ट रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अवाडी अधिवेशन में घोषित किया था। सम्प्रति भुवनेश्वर के अधिवेशन में कांग्रेस ने यह दृढ़ संकल्प किया है कि व्यक्ति की गरिमा पर आघात पहुंचाये बिना लोकतंत्र के आधार पर शान्तिमय उपायों से समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापित करना उसका ध्येय है जिसकी पूर्ति के लिये हम अग्रसर हैं। मेरा सदन के समस्त वर्गों से अनुरोध है कि वे इस कार्य में अपना पूरा योगदान दें।

मैं जानता हूं कि जो दावा हम कर रहे हैं उसे चुनौती दी जायगी और बजट पर टीका करते हुये कहा जायगा कि यह समाजवादी बजट नहीं है। मैं मानता हूं कि यह चुनौती ही हम सबको बल प्रदान करेगी। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्त हुये अपने राष्ट्र की हजारों वर्ष की बुरी और भली परम्पराओं से आबद्ध सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की विषमताओं को दूर करके, नये दृष्टिकोण, नये आदर्श नये मूल्यों की ओर उसे प्रेरित कर लेना आसान काम नहीं है। समाजवाद केवल वैधानिक नियमों और उपनियमों के प्रतिबन्ध और उपबन्ध से स्थापित नहीं किया जा सकता। उसका प्रौढ़ आधार व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में नयी भावना, नयी चिन्तन धारा और नई मनोदशा उत्पन्न करने पर अवलम्बित होता है। यह कार्य चुनौती देने से नहीं बल्कि देश की समस्त जनमंडल उसके विभिन्न वर्गों के योगदान और सहयोग से ही सम्पादित हो सकता है। समाजवाद स्वयं साधन और साध्य दोनो है जिसके फलस्वरूप देशवासियों की समृद्धि और कल्याण की आशा और कामना की जाती है। गांधी जी के नेतृत्व में संचालित इस देश की राजनीति सदा इसी लक्ष्य की ओर उन्मुख रही है। समाजवाद की स्थापना करने का हमारा संकल्प उसी का संगत और तर्क-युक्त प्रतिफल है। मेरा यह दावा नहीं है कि आदरणीय सदन के सम्मुख जो बजट इस सरकार की ओर से मैंने प्रस्तुत किया है वह समाजवादी बजट है। पर नम्रतापूर्वक हम यह निवेदन तो कर ही सकते हैं कि इस बजट में हमारी गति का जो संकेत मिलता है उस संकल्प की ओर ही उन्मुख है जिसे राष्ट्र ने व्यक्त किया है। हम इतना और निवेदन करना चाहते हैं कि समाजवाद और उसकी व्यवस्था को लाने के लिये योजनाबद्ध कोई एक राज्य अपनी परिसीम परिधि में कुछ विशेष कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता। उसके सफल सम्पादन के लिये सार्वदेशिक केन्द्रीय नीति का संचालन आवश्यक है और वह नीति संचालित होगी, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। साथ ही साथ हमारा यह संकल्प है कि इस विशाल राष्ट्रीय और सार्वदेशिक तथा केन्द्रीय प्रयास में उत्तर प्रदेश अपना सम्पूर्ण योग-दान देने में अपनी परम्परा के अनुसार किसी से पीछे नहीं रहेगा। हम दृढ़ आस्था और विश्वास के साथ उस सुखद और सुन्दर भविष्य की ओर अग्रसर होने का प्रयास करते रहेंगे।

इसके पूर्व कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मेरा यह आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि मैं वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव, श्री भिड़े, के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट करूं जिन्होंने इस बजट को बनाने और प्रस्तुत करने में मेरी बड़ी सहायता की है। उनकी कार्यपटुता, अनुभव और योग्यता से इस बजट को पेश करने में जो लाभ मुझे प्राप्त हुआ है उसके लिये मैं आभार प्रगट करता हूं। साथ-साथ विशेष वित्त सचिव, श्री दवे, संयुक्त सचिव, श्री भरत नारायण, तथा उप सचिव, श्री राय, श्री जैन, श्री वीरेन्द्र और श्री विश्वनाथ प्रसाद को भी धन्यवाद देता हूं। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके बजट को बनाने में सराहनीय योगदान दिया है। मैं भाषा विभाग के कर्मचारियों तथा अधिकारियों का आभारी हूं जिन्होंने बड़े परिश्रम से बजट साहित्य को बनाने में मदद दी। अन्त में मैं गवर्नमेंट प्रेस के सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा उनके कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सारे बजट साहित्य को बड़ी कुशलता और सतर्कता के साथ छाप कर उसे प्रस्तुत करना संभव बनाया।

श्रीमन्, मैं १९६४-६५ का बजट पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं। १९ फरवरी को साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५९ मिनट पर बुधवार, १९ फरवरी, १९६४ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१३ फरवरी, १९६४।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २३२ एल० ए०—१९६४—(प्रो०)—८६०।